# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**प्रकरण संख्या :–34/2017**

**बउनवान**

मांगीबाई पत्नि मेघराज जाति बंजारा निवासी देवपुरा तहसील अटरू जिला बारां

(अपीलांट)

**बनाम**

राजस्थान सरकार जर्ये सहायक वन संरक्षक, बारां जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्ट)

**अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थित :– 1– श्री ललित नागर अभिभाषक (अपीलांट)

2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

**निर्णय दिनांक 31.1.2018**

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, बारां के प्रकरण संख्या 1387/2015 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 13.04.2016 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके वन खण्ड कुण्डीमोठपुर ग्राम देवपुरिया के खसरा नम्बर 1742 की रकबा 18 बीघा वन भूमि पर सन् 2015 मे पर फसल सोयाबीन बोकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर दो माह की सिविल कारावास की सजा एवं 1800/– रूपये शास्ति से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 11.7.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का सही अवलोकन नही कर निर्णय फरमाया गया है। अपीलांट को विधिवत तामील नहीं कराई गई है। न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी बाबत कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नही किया गया है। अपीलांट को ना तो जवाबदेही का अवसर मिला और न ही साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर कोई गौर ना कर एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलांट को सजायाब किया गया है, जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नही है। अपीलांट अतिक्रमी नहीं है, फैसले में वर्णित भूमि पर कार्यवाही की तिथि को उसका कब्जा नहीं था न आज है, उसके विरूद्ध वनपाल ने बिना खेत देखे गांव में बैठकर झूठी रिपोर्ट की है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को निर्दोष होते हुये भी सजायाब किया है। अपीलांट के विरूद्ध पूर्ववर्ती अतिक्रमी होने की कोई साक्ष्य नहीं है। अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी वन भूमि पर फसल सोयाबीन बोकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को तामील करवाई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे अनुपस्थित रही है। अपीलांट द्वारा पूर्व मे भी अतिक्रमण किया गया था जिसे मिसल नं. 485/2013 में पारित निर्णय दिनांक 05.03.2014 द्वारा सजायाब एवं बेदखल किया गया था, जो बयान वनपाल एवं रिपोर्ट से प्रमाणित है। अपीलांट द्वारा पुनः सन् 2015 मे किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई सजा बहाल रखी जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, हम पेरोकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है ।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 1387/2015 मे अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 13.04.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.1.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

( वासुदेव मालावत )
अति0 जिला कलक्टर,
बारां